"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 जून 2016—आषाढ़ 2, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जून 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-12/आठ-परि./2013 . — केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 118 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा गति नियंत्रक के संबंध में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-12/आठ-परि./2013, दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है कि 31 जुलाई, 2016 तक अथवा उसके पूर्व,-

1. इसमें यथा उपबंधित के सिवाय, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (4) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परिवहन यान, जो 1 अक्टूबर, 2015 के पूर्व पंजीकृत हुए हैं और जिनको विनिर्माता द्वारा गति नियंत्रक से सुसज्जित नहीं किये गये हैं, को वाहन संचालक द्वारा गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) से सुसज्जित किया जायेगा या लगाया जायेगा, जो समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस : 018/2001 मानक के अनुरूप 80 किलोमीटर प्रतिघंटा की अधिकतम पूर्व-नियत गति का होगा :

परन्तु यह कि परिवहन यान जो,-

(एक) दोपहिया ;

(दो) तिपहिया ;

(तीन) चौपहिया साईकिल ;

(चार) यात्रियों और उनके सामान के वहन के लिये उपयोग किये गये चार पहिया, जिनकी बैठने की क्षमता चालक सीट के अतिरिक्त आठ यात्रियों से अधिक नहीं है (एम-1 प्रवर्ग) और यान का सकल भार 3500 किलोग्राम से अधिक नहीं है ;

(पांच) अग्निशामक ;

(छ:) एम्बुलेंस ;

(सात) पुलिस यान ;

(आठ) नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षण अभिकरण द्वारा सत्यापित और प्रमाणीकृत अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक नहीं है, को गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) से सुसज्जित करने या लगाने की अपेक्षा नहीं होगी :

परन्तु यह और कि परिवहन यान, जैसे कि डम्पर, टैंकर, स्कूल बस तथा परिसंकटमय माल का परिवहन करने वाले वाहन, जो 1 अक्टूबर, 2015 के पूर्व पंजीकृत हुए हैं और जिसको विनिर्माता द्वारा गति नियंत्रक से सुसज्जित नहीं किये गये है, को वाहन संचालक द्वारा गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) से सुसज्जित किया जायेगा या लगाया जायेगा, जो समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस : 018/2001 मानक के अनुरूप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति का होगा.

2. एन-1 एवं एम-2 श्रेणी के प्रत्येक परिवहन यान, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2016 के पूर्व पंजीकृत हुए हैं और जिसको गति नियंत्रक से सुसज्जित नहीं किये गये हैं, को वाहन संचालक द्वारा गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) से सुसज्जित किया जायेगा या लगाया जायेगा, जो समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस : 018/2001 मानक के अनुरूप 80 किलोमीटर प्रतिघंटा के अधिकतम पूर्व-नियत गति का होगा.

परन्तु यह और कि एन-1 एवं एम-2 श्रेणी के परिवहन यान, जैसे कि डम्पर, टैंकर, स्कूल बस तथा परिसंकटमय माल का परिवहन करने वाले वाहन, जो 1 अप्रैल, 2016 के पूर्व पंजीकृत हुए हैं और जिसको विनिर्माता द्वारा गति नियंत्रक से सुसज्जित नहीं किये गये हैं, को वाहन संचालक द्वारा गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) से सुसज्जित किया जायेगा या लगाया जायेगा, जो समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस : 018/2001 मानक के अनुरूप 60 किलोमीटर प्रतिघंटा के अधिकतम गति का होगा.

No. F-5-12/viii-Trans/2013. — In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 118 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 and in supersession of this department's Notification No. F-5-12/viii-Trans/2013, dated 31st December, 2013 relating to speed governors, the State Government, hereby, notifies that on or before 31st July, 2016,-

1. Every transport vehicle notified by the Central Government under sub-section (4) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), save as provided herein, and registered before 1st October, 2015 and not equipped with speed governors by manufacturers shall be equipped or fitted by the vehicle operator with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function) having maximun pre-set speed of 80 kilometer per hour conforming to the Standard AIS : 018/2001, as amended from time to time:

Provided that the transport vehicles that are,-

(i) two wheelers;

(ii) three wheelers;

(iii) quadricycles;

(iv) four wheeled and used for carriage of passengers and their luggage, with seating capacity not exceeding eight passenger in addition to driver seat (M-1 Category) and not exceeding 3500 kilogram gross vehicle weight;

(v) fire tenders;

(vi) ambulances;

(vii) police vehicles;

(viii) verified and certified by a testing agency specified in rule 126 to have maximum rated speed of not more than 80 kilometer per hour, shall not be required to be equipped or fitted with speed governors (speed limiting device or speed limiting function) :

Provided further that transport vehicles that are dumpers, tankers, school buses and those carrying hazardous goods registered before 1st October, 2015 and not equipped with speed governors by manufacturers shall be equipped or fitted by the vehicle operator with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function) having maximum speed of 60 kilometer per hour conforming to the Standard AIS : 018/2001, as amended from time to time.

2. Every transport vehicle of N-1 and M-2 category registered before 1st April, 2016 and not equipped with a speed governor shall be equipped or fitted by the vehicle operator, with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function) having maximum pre-set speed of 80 kilometer per hour conforming to the Standard AIS : 018/2001, as amended from time to time.

Provided further that the transport vehicles of N-1 and M-2 category that are dumpers, tankers, school buses and those carrying hazardous goods registered before 1st April, 2016 and not equipped with speed governor shall be equipped or fitted by the vehicle operator with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function) having maximum speed of 60 kilometer per hour conforming to the Standard AIS : 018/2001, as amended from time to time.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .